

## महत्वपूर्ण सूचना

बोर्ड बैठक दिनांक 05/07/18 मद संख्या-37 के अनुसार हरियाणा राज्य के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150/-रुपये प्रति परीक्षार्थी एवं अन्य राज्य/बोर्ड से आए नियमित परीक्षार्थियों के लिए 200/-रुपये प्रति परीक्षार्थी होगा। एनरोलमेंट रिटर्न एवं पंजीकरण ऑनलाईन आवेदन करने का शैड्यूल बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.2006 के मद संख्या 12 तथा बोर्ड बैठक दिनांक 07.10.2017 मद संख्या-9 के नियमानुसार तैयार किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

शैक्षिक सत्र 2026-27 में अराजकीय अस्थाई विद्यालयों के कक्षा नौवीं से बारहवीं के एनरोलमेंट रिटर्न एवं पंजीकरण करने की तिथियाँ :-

| कक्षा                   | बिना विलम्ब शुल्क           | 100/- रु0 विलम्ब शुल्क सहित | 200/- रु0 विलम्ब शुल्क सहित | 300/- रु0 विलम्ब शुल्क सहित | 1000/-रु0 विलम्ब शुल्क सहित | शुद्धि के लिए तिथियाँ       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>नौवीं से बारहवीं</u> | 19.10.2026 से<br>05.11.2026 | 06.11.2026 से<br>10.11.2026 | 11.11.2026 से<br>15.11.2026 | 16.11.2026 से<br>20.11.2026 | 21.11.2026 से<br>25.11.2026 | 27.11.2026 से<br>30.11.2026 |

हरियाणा राज्य के सभी अराजकोय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश जारी किये जाते हैं कि एनरोलमेंट रिटर्न हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दर्शाई गई सभी शर्तों की पालना करना सुनिश्चित करें :-

1. सभी सम्बन्धित विद्यालय अपने छात्रों के “एनरोलमेंट रिटर्न” के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क सहित एक बार ही (एकमुश्त)ऑन-लाईन करना सुनिश्चित करें। एनरोलमेंट हेतु विद्यालय की **Login I.D/** पासवर्ड पहले ही निर्धारित है।
2. कक्षा नौवीं से बारहवीं के उन्हीं छात्रों के एनरोलमेंट आवेदन किए जाने हैं, जिन्हें शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश दिया गया है।
3. छात्रों की नवीनतम फोटो “विद्यालय वर्दी” में तिथि सहित होनी चाहिए।
4. जिन छात्रों ने आठवीं परीक्षा हाल ही में पास करके 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया है, उन सभी का एनरोलमेंट करना अनिवार्य है। 9वीं फेल ऐसे छात्र जिनका इस बोर्ड से पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है उसका पुनः एनरोलमेंट नहीं करवाया जाना है, उसका केवल पंजीकरण किया जाना है। पंजीकरण शुल्क 100/रु प्रति छात्र है जो कि ऑनलाईन जमा करवाना है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग छात्रों से सभी प्रकार के बोर्ड आवेदन शुल्क नहीं लिया जाना बनता, इन परीक्षार्थियों का दिव्यांग प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
5. जिन छात्रों का 9वीं कक्षा में इस बोर्ड से पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है व छात्र ने 9वीं कक्षा पास करके 10वीं कक्षा में प्रवेश लिया है उनका न तो एनरोलमेंट किया जाना है और न ही पंजीकरण किया जाना है। 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होकर पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र का पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। उसका पुनः एनरोलमेंट नहीं करवाया जाना है उनका केवल पंजीकरण करवाया जाना है।

पंजीकरण शुल्क 100/रु प्रति छात्र है जो कि आनॅलाईन जमा करवाना हैं। अन्य बोर्डों/राज्यों से आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने 10वीं एवं 12वीं में सीधे प्रवेश लिया है उनका एनरोलमेंट करवाना आवश्यक है। 10वीं कक्षा हेतु कक्षा 9वीं की एस0एल0सी0 SRN No. सहित एवं कक्षा 12वीं हेतु कक्षा 10वीं का प्रमाण-पत्र व कक्षा 11वीं का रिपोर्ट कार्ड एवं कक्षा 11वीं की एस0एल0सी0 SRN No. सहित Upload करना अनिवार्य है।

6. इस बोर्ड से 10वीं पास करके 11वीं में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 11वीं में अनुत्तीर्ण रहे छात्रों का भी पुनः प्रवेश लेने पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अन्य राज्यों/बोर्डों से 11वीं में दाखिला लेने वाले छात्रों का एनरोलमेंट करवाना अनिवार्य है।
7. जिन छात्रों का 11वीं कक्षा में पहले ही एनरोलमेंट एवं पंजीकरण करवाया जा चुका है व छात्र ने 11वीं कक्षा पास करके पहली बार 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया है उनका न तो एनरोलमेंट किया जाना है और न ही पंजीकरण किया जाना है। जो छात्र 12वीं कक्षा में इस बोर्ड से अनुत्तीर्ण रहे हैं, और पुनः 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया है उनका केवल पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। उनका पुनः एनरोलमेंट नहीं करवाया जाना है।
8. जिन छात्रों का पूर्व में ही इस बोर्ड से कक्षा 9वीं में एनरोलमेंट हो चुका है व उन छात्रों द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इस बोर्ड से नियमित छात्र के तौर पर ना देकर हरियाणा मुक्त विद्यालय से उत्तीर्ण की है, ऐसे छात्रों को कक्षा 11वीं में पुनः एनरोलमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है।
9. जिन छात्रों का पूर्व में ही इस बोर्ड से कक्षा 9वीं में एनरोलमेंट हो चुका है व उन छात्रों द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इस बोर्ड से नियमित/मुक्त छात्र के तौर पर ना देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्डों से उत्तीर्ण की है, ऐसे छात्रों के प्रमाण-पत्र की व माईग्रेशन प्रमाण-पत्र विद्यालय द्वारा जांच करते हुए बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने हैं। तदोपरांत पूर्व में जारी किए गए एनरोलमेंट में उक्त सूचना अपडेट करवाई जानी है। इस स्थिति में छात्र को कक्षा 11वीं में पुनः एनरोलमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है।
10. कक्षा 9वीं से 12वीं में अन्य बोर्ड/राज्य से आने वाले छात्रों की Countersigned SLC/TC एवं कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के 10वीं का प्रमाण पत्र एनरोलमेंट आवेदन फार्म भरते समय विद्यालयों द्वारा एनरोलमेंट आनॅलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. SLC/TC 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर एनरोलमेंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।
12. छात्रों के विवरण अपलोड करने उपरांत एक छात्र के डाटा में (जन्म तिथि को छोड़कर) दो त्रुटियां आनॅलाईन निशुल्क ठीक की जा सकती हैं। दो से अधिक त्रुटियां पाए जाने पर 300/—रु0 शुल्क प्रति शुद्धि आनॅलाईन(निर्धारित तिथि तक) भुगतान करना होगा। इसके बाद किसी भी शुद्धि के लिए बोर्ड कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे व 300/—रु0 प्रति शुद्धि शुल्क काउंटर पर जमा करना होगा।

13. एनरोलमेंट के समय सम्बन्धित विद्यालय छात्रों का विवरण जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर दर्ज करें एवं अन्य दस्तोवजों के साथ जन्म प्रमाण-पत्र अवश्य जमा करवाएं।
14. कक्षा 11वीं व 12वीं में कला संकाय के साथ-2 वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में भी शारीरिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने का प्रावधान है।
15. बोर्ड की वेबसाइट के एनरोलमेंट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :-

**CERTIFICATES:-**

- (i) The Spelling of the Name, Father's Name, Mother's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission and withdrawal Register/Original Certificates. The admission of all students have been made in time and admitted upto age limit as per Education policy.
- (ii) The School has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board.
- (iii) All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to Board's rules.
- (iv) The names of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left out.
- (v) We have gone through the Rules/Regulation relating to enrolment carefully and the return is being sent according to these Rules/Regulations. If any mistake is found at the later stage the School will be responsible.
- (vi) It is certified that the S.L.C./T.C. of other States have been verified by our school and found correct. If at any stage, any S.L.C./T.C. found Bogus, the institution will be responsible and penalized accordingly.
- (vii) Certified that the school/institute will be responsible for admitting students from fake boards/boards not having equivalency with Board of School Education Haryana, Bhiwani.

16. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि विद्यालय द्वारा किसी छात्र को एनरोलमेंट के नियम/विनियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रवेश दिया गया है तो उस छात्र की पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा छात्र सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि छात्र अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो पहली गलती पाए जाने पर एनरोलमेंट विनियम 21(2) के अंतर्गत एक लाख रु0 (100000/-रु0) आर्थिक दण्ड तथा दूसरी गलती पाए जाने पर तीन लाख रु0(300000/- रु0) का आर्थिक दण्ड व तीसरी गलती पाए जाने पर विद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
17. जिन विद्यालयों द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमेंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में छात्रों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च एनरोलमेंट विनियम संख्या 21(1) के तहत वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।
18. एनरोलमेंट एवं पंजीकरण के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को न भेजा जाए।
19. शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौवीं से बारहवीं के छात्रों की एनरोलमेंट रिटर्न में छात्र का आधार नम्बर भी लिखा जाना आवश्यक है। छात्र के पिता का आधार नं0 भी भरें। यदि किसी कारणवश पिता का आधार नं0 नहीं है तो माता का आधार नं0 भरें।
20. विद्यालयों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के एनरोलमेंट के सभी आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में एक बार (एकमुश्त) ही ऑन-लाईन भेजे। इसके पश्चात् आवेदन करने के लिए अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी छात्र का आवेदन-पत्र ऑफ-लाईन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दाखिला खारिज रजिस्टर (**Admission Withdrawl Register**) में अंतिम छात्र के प्रवेश पृष्ठ की छायाप्रति भी अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है।
21. विद्यालय द्वारा 9वीं एवं 11वीं का प्रश्न-पत्र शुल्क 50/-रु प्रति विद्यार्थी आनलाईन माध्यम से जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रश्न-पत्र शुल्क 1000/-रु प्रति विद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।
22. कक्षा 9वीं के छात्रों से प्रश्न-पत्र शुल्क के साथ-साथ 30/-रु0 प्रति विद्यार्थी की दर से अतिरिक्त शुल्क उत्तरपुस्तिकाओं के प्रयोग हेतु जमा करवाना होगा।
23. एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अन्य राज्यों/बोर्डों से आए 9वीं से 12वीं के परीक्षार्थियों के एनरोलमेंट करने उपरांत मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दस्ती/पंजीकृत एक सप्ताह के अंदर-अंदर बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। अन्य राज्यों से आए परीक्षार्थियों के एनरोलमेंट प्रोविजनल लगाए जाएंगे, जिन्हें एस.एल.सी./टी.सी. की जांच करने उपरांत ही स्थायी माना जाएगा।

जांच में Bogus/Fake पाए जाने पर एनरोलमेंट रद्द कर दिए जाएंगे एवं सस्था के विरुद्ध विनियम-21(i)&(ii) के अन्तर्गत कार्यवाई की जाएगी।

24. यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी भी कारणवश एनरोलमेंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है तो ऐसे मामलों में विद्यालय शुल्क वापसी हेतु एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिन के अंदर-अंदर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध शुल्क वापसी का प्रोफॉर्मा भरते हुए संपूर्ण विवरण; Benificairy Name, Account No., IFSC Code, Bank Branch Name) सहित प्रार्थना पत्र ई-मेल [asenr@bseh.org.in](mailto:asenr@bseh.org.in) पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमेंट शुल्क वापसी बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।
25. शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम भी इसी वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें अगले वर्ष की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
26. सत्र 2026-27 शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के एनरोलमेंट रिटर्न भरते समय ऑनलाईन आवेदन में अपार आईडी0(APAAR ID) का कॉलम दिया गया है। सभी विद्यालय उक्त कॉलम में छात्र की APAAR ID संख्या भरना सुनिश्चित करें, इस सम्बन्ध में सूचना सभी विद्यालयों को [सैकेण्डरी/सी0](#) सैकेण्डरी शाखा के पत्र क्रमांक 490/सी0सै0 दिनांक 02.09.2025 के अन्तर्गत प्रेषित की जा चुकी है।
27. किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 01664-254300 या 01664-254302 तथा एनरोलमेंट शाखा के फोन नं. 01664-244171 से 176 Ext. 110 पर सम्पर्क किया जा सकता है व हैल्पलाईन ई-मेल [asenr@bseh.org.in](mailto:asenr@bseh.org.in) पर ई-मेल भेजी जा सकती है।
- सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की सम्बद्धता पोर्टल पर सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण होते ही [नामांकन एवं पंजीकरण](#) के लिए पोर्टल ओपन होगा। विद्यालयों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे परीक्षार्थियों के [पंजीकरण एवं नामांकन](#) का डाटा एक बार (एकमुश्त) में ही अपलोड करें।



सहायक सचिव(एनरोलमेंट)